न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 189/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुरखाराम पुत्र नारणाराम 2. हरचन्दराम पुत्र नारणाराम 3. कलाराम पुत्र नारणाराम (जाति जाट निवासी पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर)		1. मूलाराम पुत्र बींजाराम 2. खतुदेवी पत्नी बींजाराम 3. कमला देवी पत्नी चेतन 4. पूनमचंद पुत्र चेतन (जाति मेघवाल, निवासी पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 5. कानाराम पुत्र आम्बाराम 6. हीराराम पुत्र आम्बाराम 7. चन्द्रा पुत्री नारणाराम 8. जोगाराम पुत्र चोखाराम 9. जीवणाराम पुत्र चोखाराम 10. खींयाराम पुत्र चोखाराम 11. राजो देवी पत्नी चोखाराम 12. रामाराम पुत्र जगमालराम 13. जुंझाराम पुत्र जगमालराम 14. जोगाराम पुत्र जगमालराम 15. सोनाराम पुत्र जगमालराम 16. रूखमो देवी पत्नी जगमालराम 17. दीपाराम पुत्र जगमालराम 18. दलाराम पुत्र वीरमाराम 19. पूर्णाराम पुत्र हरजीराम 20. गोरधनराम पुत्र हरजीराम 21. विरधाराम पुत्र हरजीराम 22. भीयाराम पुत्र दयाराम 23. मेघाराम पुत्र दयाराम 24. चूनाराम पुत्र दयाराम (जाति जाट, निवासी ग्राम पोशाल, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर) 25. तहसीलदार चौहटन, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी चौहटन राजस्व आवेदन संख्या 337/2016 अंतर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट दिनांक 14.06.2017

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलाण्ट्स
2. श्री महेश मेहता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 25

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

4. रेस्पो0 सं0 5 से 14 बावजूद सूचना व नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा अंतर्गत धारा 131 व 136 आरएलआर, एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 337/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि तहसील चौहटन के ग्राम पोशाल स्थित मूल खसरा नम्बर 11 की भूमि में से प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 एवं विप्रार्थीगण के खसरान की भूमि अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुई, जिसकी मौके पर गलत तरमीम कर दी गई। वक्त तरमीम प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 के खातेदारी ख0नं0 468/11 रकबा 30 बीघा भूमि की जगह 21 बीघा की तरमीम कर दी गई है, जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार चौहटन को प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का आदेश दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं0 11 की भूमि में से अपीलार्थी एवं रेस्पो0 की अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुई है। जिसमें से अपीलांट्स खसरा नं0 466/11 की भूमि का खातेदार है। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गई थी। पूर्व में तरमीम उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित बंटवाडा आदेश से हुई थी। जमाबंदी संवत् 2070–73 में प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 के खसरा नं0 468/11 रकबा 30 बीघा दर्ज है तथा मौका फर्द दिनांक 6.5.16 के अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संवत् 2011 में मौके पर 21 बीघा की तरमीम की गई। अतः पूर्व तरमीम आदेश या बंटवाडा आदेश को चुनौति दिये बिना तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत केम्प में निस्तारण करना विधि सम्मत नही होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम पोशाल स्थित मूल खसरा नम्बर 11 की भूमि में प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 एवं विप्रार्थीगण के खसरान की भूमि अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुई, जिसकी मौके पर गलत तरमीम कर दी गई। वक्त तरमीम प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 के खातेदारी ख0नं0 468/11 रकबा 30 बीघा भूमि की जगह 21 बीघा की तरमीम कर दी गई है, जिसकी दुरूस्ती हेतु आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का आदेश पारित किया गया है, विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद जमाबंदी संवत् 2070–73 में प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 के खसरा नं0 468/11 रकबा 30 बीघा भूमि दर्ज है तथा मौका फर्द दिनांक 6.5.16 के अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस संवत् 2011 में मौके पर 21 बीघा की तरमीम की गई है। उक्त तरमीम दुरूस्ती से पडौसी खसरान की भूमि भी प्रभावित होगी। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.5.17 में उल्लेखित तथ्य कि ''प्रार्थीगण की तरमीम 30 बीघा की बजाय 21 बीघा है, अन्य विप्रार्थीगण खातेदारान की तरमीम भी सही नही है'' के दृष्टिगत मौके पर अनावश्यक विवाद से बचाव हेतु, केवल प्रार्थी के खसरान की तरमीम दुरूस्ती की बजाय विप्रार्थी के खसरान की भी तरमीम दुरूस्ती हेतु विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन सं0 337/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2017 को निरस्त किया जाता

है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों को नोटिस एव समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद जांच एवं संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रकरण में तरमीम शुद्धि हेतु नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27 **मई, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर